	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
7/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादी उपस्थित/अनु० पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय के बाहर/जयपुर पधारे हुये है। पत्रावली पूर्ववत दि०..22.3.22 को पेश हो।	
22-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादी उपस्थित/अनु० पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय के बाहर/जयपुर पधारे हुये है। पत्रावली पूर्ववत दि०..6.4.22 को पेश हो।	
6/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादी उपस्थित/अनु० पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय के बाहर/जयपुर पधारे हुये है। पत्रावली पूर्ववत दि०..5/5/22 को पेश हो।	
5/5/22	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकारान उपस्थित हो। जवाब सरकार पेश नहीं हुआ है। लिहाजा वास्ते जवाब सरकार के दिनांक 9.5.22 को पेश हो।	
9/5/22	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकारान उपस्थित है। जवाब सरकार प्रस्तुत किया व शपथ पत्र पेश किया गया। लिहाजा वास्ते बहस के दिनांक 14-5.22 को पेश हो।	
14/5/22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच हाजा के पेश है। उभय पक्ष उपस्थित हुये। वादी का राजीनामा पत्र पेश किया गया है। जिसे पक्षकारान से तस्दीक कराकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से बाद की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 14/05/2022	शादलाल Identified [illegible]पाल [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
175 / 2019	03.10.2019	14.05.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद

उनवान

1– रामलाल आत्मज चतरा नाथ जाति नाथ निवासी सारोला तह0दीगोद जिला कोटा
(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दीनदयाल सेन एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा मे निम्न विवरण कील कुल चार किता की 4.03 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जो उक्त भूमि वादी व अन्य खातेदारान के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 संलग्न है।

खसरा नम्बर 157 की 1.36 हैक्टर
खसरा नम्बर 160 की 1.56 हैक्टर
खसरा नम्बर 166 की 0.21 हैक्टर
खसरा नम्बर 167 की 0.90 हैक्टर
कुल चार किता की 4.03 हैक्टर भूमि

यह कि वादी का नाम रामलाल है ओर वादी के राशन कार्ड , आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पंचायत तस्दीक आदि मे वादी का नाम रामलाल अंकित है। किन्त उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से रामलाल के स्थान पर रामजीलाल अंकित हो गया है जो गलत है।

यह कि उक्त भूमि वादी की शामलाती खातेदारी मे दर्ज है तथा वादी का नाम गलत अंकित होने के कारण वादी को किसी प्रकार सहायता प्राप्त नही हो रही है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 27.09.2019 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही

14/05/2022

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामजीलाल गलत रूप से दर्ज करने पर , तथा दिनांक 27.09.2019 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त नहीं करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 157 रकब 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 की 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 की 0.90 हैक्टर, कुल चार किता की 4.03 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1— नकल जमाबन्दी सवंत् 2071—2074 ग्राम सारोला
2— नकल फोटो प्रति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी
3— नकल आधार कार्ड
4— नकल फोटो प्रति भामाशाह कार्ड
5— नकल बैंक पास बुक
6— नकल सरपंच तस्दीक ग्राम पंचायत सारोला

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में निपोर्ट पटवारी अनुसार रामलाल व रामजीलाल एक ही व्यक्ति है। अतः रामजीलाल को रामलाल करने की अनुशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में रेवती रमण पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी सारोला व रघुवीर पुत्र बृजमोहन निवासी सारोला के शपथ लिये गये जो शामिल फायल किये जाकर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादी का नाम रामजीलाल का नाम गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 157 रकब 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 की 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 की 0.90 हैक्टर, कुल चार किता की 4.03 हैक्टर

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

14/08/2021
अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया। पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी दीगोद की अभिशषा के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर , वादी का नाम ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 157 रकब 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 की 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 की 0.90 हैक्टर, कुल चार किता की 4.03 हैक्टर भूमि में रामजीलाल के स्थान पर रामलाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

14/05/2022

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner